विचार बिन्दु

उपदेश के बजाय कहीं ज्यादा हम करके सीखते हैं। –बर्क

समान नागरिक संहिता- आवश्यकता और संभावना

14 जून, 2023 को एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर भारत के विधि आयोग ने देश के नागरिकों, धर्मगुरुओं और संस्थाओं से समान नागरिक संहिता के बारे में 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे हैं।

वर्तमान में भारत के नागरिकों पर उनके धर्म के अनुसार निजी मामलों हेतु निम्न कानून लागू होते हैं:–

1. हिन्दुओं के लिए :
i. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
ii. हिन्दू उत्तराधिकार, अधिनियम, 1956
iii. हिन्दू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, 1956
Vi. हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस,एक्ट, 1956
(ये सभी कानून सिक्खों, जैनों, बौद्धों पर भी लागू है)
2. मुसलमानों के लिए: दी मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) ऐप्लिकेशन एक्ट, 1937
3. ईसाइयों के लिए: इंडियन क्रिश्चियन मैरेज एक्ट, 1872
4. पारसियों के लिए : पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936 (इसे 1988 में संशोधित किया गया)

भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वह अच्छे शासन के लिए नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार कानून बनाने की कार्यवाही करें। इसी प्रकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 एवं 26 में सभी को अपने अपने धर्मों के अनुसार जीवन यापन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय का आदेश प्राप्त किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने हेतु न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है।

स्वतन्त्रता के 75 साल बाद भी समान नागरिक संहिता नहीं बनाना एक प्रकार से संविधान की प्रस्तावना और विधि के शासन के विरुद्ध है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीने का अधिकार है। इसी को आधार बनाकर मुसलमानों के धर्मगुरु समान नागरिक संहिता का विरोध करते रहे हैं और इसे, उनके धार्मिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप बताते रहे हैं।

पहली बार 2015 में 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के विषय में सुझाव मांगे थे। विधि आयोग ने प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट 2018 में सरकार को सौंपी जिसमें यह सिफारिश की गई कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करना न तो वांछित है न ही आवश्यक।

सरकार ने 2020 में 22 वें विधि आयोग का गठन किया। इस विधि आयोग द्वारा एक बार फिर समान नागरिक संहिता के बारे में सुझाव मांगने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के जारी होते ही राजनीतिक क्षेत्र में बवाल मच गया है। सभी विपक्षी दल इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने का ही विरोध करने लगे हैं।

यह सही है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व में देश के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की बात कही गई थी और सरकारों का यह दायित्व था कि इस दिशा में कदम उठाएँ। जब-जब भी इस विषय पर चर्चा हुई, इसे राजनीतिक रंग दिया गया और इसे विभिन्न धर्मावलंबियों में विवाद उत्पन्न करने वाला कदम बताने का प्रयास किया गया।

अल्प संख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिम समाज को यह आशंका है कि सरकार समान नागरिक संहिता के नाम पर हिंदुओं के रीति-रिवाजों को अन्य धर्मों पर थोपने का कार्य करेगी।

पहले तो हम यह समझ लें कि समान नागरिक संहिता किसी भी नागरिक के जीवन के किस-किस पहलू को प्रभावित करेगी? मुख्य रूप से यह विवाह, तलाक, निर्वाह भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि पर लागू होगा। वर्तमान में नागरिकों पर वह संहिता लागू होती है जो संबंधित व्यक्तियों के धर्म के अनुसार हो ।जहां तक विवाह का प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत भी इसका पंजीयन कराया जा सकता है, यदि संबंधित दोनों व्यक्ति अलग-अलग धर्मों के भी हों। वर्तमान में देश में केवल गोवा ही ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है।

अब यह समझने का प्रयास करें कि इसका विरोध करने वाले इसका विरोध किस आधार पर कर रहे हैं? सबसे प्रमुख आधार तो यही है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 में सभी धर्मों के मानने वालों को अपने-अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन का संचालन करने का एक मूलभूत अधिकार दिया गया है। क्योंकि विभिन्न धर्मों में निजी, पारिवारिक कार्यों जैसे विवाह, तलाक आदि के संबंध में विभिन्न अलग-अलग प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, क्या सबके लिए अलग-अलग निजी कानून को बनाए रखना संविधान सम्मत है? अंतर्द्वंद ,मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच में उत्पन्न किया गया है। ऐसा कोई कानून जो समाज में महिला पुरुष के बीच में गैर बराबरी को बनाए रखें, एवं समान रूप से नहीं देखे तो इस प्रकार के निजी कानून, मौलिक अधिकारों की अवहेलना है। दूसरी ओर अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों एवं तथाकथित ठेकेदारों के द्वारा विभिन्न निजी विषयों के लिए शरियत को आधार बताते हुए इनमें किसी भी प्रकार के दखल को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा रहा है। यह कहा जाता है कि ऐसा करके सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाना चाह रही है। कुछ इसी प्रकार का तर्क तब भी दिया गया था जब सरकार द्वारा ट्रिपल तलाक कानून पारित किया गया था। विरोध के बावजूद संसद ने इस कानून को पारित कर दिया। इस कानून का समर्थन अधिकांश मुस्लिम महिलाओं ने भी किया था, क्योंकि यह ऐसे पुरुष को सजा देता है जो एक ही बार में तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोलकर किसी भी पत्नी को घर से निकाल सकता था।

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता होनी चाहिए। कुछ समाजों के मन में संशय यह है कि क्या समान संहिता के नाम पर बहुसंख्यक समाज की ही परंपराओं एवं के नियमों को सभी समाजों पर थोप दिया जाएगा या इसमें सभी धर्मों के निजी कानूनों की अच्छी बातों का भी समावेश होगा?

विपक्षी दल यह भी आरोप लगा रहे हैं कि यह सारी प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के कुछ समय पूर्व प्रारंभ की गई है, ताकि विभिन्न समुदायों में कटुता उत्पन्न की जा सके और ध्रुवीकरण करके बहुसंख्यक समाज के मत बडी संख्या में प्राप्त कर चुनाव में विजय सुनिश्चित की जा सके। यह उल्लेखनीय है कि विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है।

इस विषय में सर्वसम्मति बनना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार द्वारा एक प्रारूप समान नागरिक संहिता का बनाया जा रहा है। विधि आयोग ने अपनी ओर से कोई प्रारूप नहीं जारी किया है। इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया कि जब एक विधि आयोग ने इसकी आवश्यकता नहीं बताई तो अब दुबारा चर्चा प्रारंभ कराने का इस समय क्या उद्देश्य है? प्रश्न यह भी है कि सभी धर्मों के अपने अपने निजी कानून हैं तो समान नागरिक संहिता के नाम पर क्या किसी एक धर्म के निजी कानून को अन्य धर्मावलंबियों पर लागू करना उचित होगा? सरकार का यह कहना है कि वह नीति निर्देशक तत्व में दी गई जिम्मेदारी के अनुसार ही इस दिशा में आगे बढ रही है। यदि 75 वर्ष तक किसी सरकार ने इस बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि वर्तमान सरकार भी इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करे। पुराने विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार को विभिन्न धर्मावलंबियों की वर्तमान परंपराओं को कुछ कानूनी जामा पहनाया जाना था ताकि प्रत्येक धर्म के कुछ ठेकेदार और तथाकथित धर्मगुरु अपनी मनमानी नहीं कर पाएँ। समस्या, मुख्य रूप से इस्लाम धर्मावलंबियों की है, क्योंकि ईसाई और पारसी संख्या में बहुत अधिक नहीं होने के कारण कोई मजबूत विरोध कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। पारसियों के निजी कानून के अनुसार कोई पारसी किसी अन्य धर्म को मानने वाले से विवाह करता है तो उनके बच्चे पारसी नहीं माने जाते हैं।

समान नागरिक संहिता का विषय स्वतंत्रता से पूर्व भी उठता रहा था और अंग्रेजों ने देश की विविधता को दृष्टिगत रखते हुए ही एक समान नागरिक संहिता नहीं बनाई एवं न ही लागू की। उन्होंने अलग-अलग समाज के लिए जो भी उनके परंपराएं थी उनको लिपि बंद करके इस संहिता के रूप में जारी किया, उदाहरण के लिए मुसलमानों के लिए अलग संहिता बनी, पारसियों के लिए अलग थी और हिंदुओं के लिए अलग थी। स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया जिसे कानून का रूप दिया गया। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत केवल निजी कानून ही सम्मिलित होते हैं जैसे विवाह, तलाक, निर्वाह, भत्ता गोद लेने की प्रक्रिया, उत्तराधिकार।

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता होनी चाहिए। कुछ समाजों के मन में संशय यह है कि क्या समान संहिता के नाम पर बहुसंख्यक समाज की ही परंपराओं एवं के नियमों को सभी समाजों पर थोप दिया जाएगा या इसमें सभी धर्मों के निजी कानूनों की अच्छी बातों का भी समावेश होगा?

अत: सरकार के लिए समान संहिता बनाने हेतु आवश्यक है कि वह अल्पसंख्यक समाजों की इन आशंकाओं को समाप्त करें एवं एक प्रारूप पहले समान नागरिक संहिता का बनाकर जारी करे। संभव है, महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अधिक ठोस प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों के निजी कानूनों में हों। उन्हें अपनाने में लचीला दृष्टिकोण रखना चाहिए।

वैसे भी देश में दंड प्रक्रिया संहिता, सभी के लिए समान रूप से लागू है। जिस प्रकार भारतीय दंड संहिता सभी पर लागू होती है, निजी कानून भी समान रूप से सब पर लागू हो सकते हैं। समान नागरिक संहिता के लिए चर्चा कराने का जो समय चुना है, वह अवश्य सरकार की मंशा को संदेह के घेरे में लाता है।

उपयुक्त होगा, यदि नए कानून को इंडियन पर्सनल लॉ या इंडियन सिविल कोड के नाम से बनाया जाय। आशा है, सरकार संवाद के माध्यम से ही इस दिशा में आगे कदम बढाएगी एवं केवल चुनावी लाभ को दृष्टि गत रखते हुए जल्दबाजी नहीं करेगी।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

वर्षा नहीं होने के कारण फसलों को नुकसान

सादुलपुर, (निसं)। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र में शत प्रतिशत देसी बाजरे की बुवाई की जा चुकी है। वहीं कहीं-कहीं पर ग्वार एवं मूंग की बुआई की गई है। लेकिन तापमान ज्यादा होने एवं बुवाई के लंबे अंतराल के बाद भी वर्षा नहीं होने के कारण ग्वार की फसल को काफी नुकसान हुआ है। वहीं ग्वार की फसल के अंकुरित हुए पौधे जलकर नष्ट हो गए हैं।

लगभग सवा महीने पहले बोई गई बाजरे की फसल अब खेतों में लहराने लगी है। लेकिन राजगढ उपखंड के दर्जनों गाँवों में अभी भी चक्रवात बिपरजाय के असर के बाद भी वर्षा नहीं हुई है। देसी बाजरे की फसल सुबह शाम

- ग्वार की फसल के अंकुरित हुए पौधे जलकर नष्ट हुये

भाकरां गांव की रोही में खड़ी फसल।

परवान पर है, लेकिन बढवार फसल में नहीं हो रही है तथा दिन में तेज धूप में बाजरे के कारण फसल मुरझा रही है। भाकरां के सीताराम मेहरा, नरेंद्र सिंह व जयसिंह मिल ने बताया की अबकी बार चक्रवात की बरसात भी नहीं हुई एवं चक्रवात के कारण मानसून भी रुका हुआ है तथा मानसून से पहले प्री मानसून की बारिश भी नहीं हो रही है। अगर अभी एक-दो दिन में अच्छी वर्षा हो जाती है तो बाजरे की अगेती फसल में बढवार हो जाएगी तथा फसल में होने वाले खरपतवार निनाण भी समय रहते निकालेंगे। गौरतलब है कि भाकरां, राधा बडी एवं थानमठुई रोही में अगेती बोई गई बाजरे की फसल परवान पर है, लेकिन अच्छी वर्षा का इंतजार है। अल सुबह भाकरां रोही में निरीक्षण के दौरान खेतों में बाजरे की फसल का नजारा बहुत ही बढिया मनमोहक दृश्य था।

चूरू में रेलवे विभाग ने तिरंगे को ही गायब कर दिया

चूरू, (कासं)। चूरू में रेलवे विभाग ने लापरवाही की सभी हदें पार करते हुए तिरंगे को ही गायब कर दिया है। जबकि यहां ना तो कोई आंधी आई है और ना ही कोई तूफान आया है। बस रेलवे के अधिकारियों की अनदेखी ने तिरंगे का मजाक बनाकर रख दिया है। मिली जानकारी के अनुसार चूरू जंक्शन के परिसर में से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा काफी दिनों से गायब है।

- यहां पर ना तो कोई आंधी आई और ना ही कोई तूफान आया
- मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने की मांग

चूरू में रेलवे विभाग ने लापरवाही की सभी हदें पार करते हुए तिरंगे को ही गायब कर दिया है।

यहां रेलवे विभाग के अधिकारी तिरंगे को लहराते हुए देखना पसंद नहीं करते बताए। यही कारण है कि एक साजिश रचकर तिरंगा हटा दिया गया है। रेलवे के अधिकारी इस संबंध में आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। रेल मंत्रालय के निर्देश इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। यहां आने-जाने वाले लोगों ने दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। लोगों ने कहा कि यहां तिरंगे को हटाकर चूरू रेलवे विभाग के अधिकारी क्या साबित करना चाहते हैं। यहां आमजन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। क्यों नहीं संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। इस प्रकार से मनमानी नहीं चलेगी।

निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन लागू करने की मांग

हनुमानगढ़, (निसं)। निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन लागू करने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर निर्माण मजदूरों ने सोमवार को राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन (सीटू) के बैनर तले जिला मुख्यालय पर स्थित श्रम विभाग ऑफिस पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला श्रम कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि शुभ शक्ति योजना को चालू कर 8वीं पास की अनिवार्यता समाप्त की जाए ताकि बच्चियों को आगे बढ़ने में सहायता मिल सके।

श्रम विभाग की ओर से करवाए गए भौतिक सत्यापन में निरस्त किए गए आवेदनों में वंचित पात्र निर्माण श्रमिकों के आवेदन स्वीकृत कर उन्हें सहायता दी जाए और आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। विभाग की ओर से सैस एकत्रित करने में की जा रही भारी अनियमितता को लेकर अभियान चलाकर सैस एकत्र किया जाए, दूसरे राज्यों की भांति राजस्थान में भी निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष आयू के बाद पेंशन लागू की जाए। निर्माण श्रमिकों की पंजीयन डायरी में आधार, जनआधार जोड़ने की व्यवस्था सभी जिला स्तर पर की जाए। निर्माण श्रमिकों को शीघ्र ही भविष्य निधि एवं ईएसआई जैसी केन्द्रीय योजनाओं से जोड़ा जाए।

प्रदेश के सभी श्रम कार्यालयों पर बोर्ड की ओर से ई-मित्र की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बाहर के ई-मित्र भारी राशि वसूल कर रहे हैं। योजनाओं में समय सीमा तय की जाए। प्रवासी निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण आधार कार्ड और उनके स्वयं के शपथ-पत्र पर पंजीयन किया जाए। बीओसी डबूयू बोर्ड की राशि लगभग 385 करोड़ जो राज्य सरकार ने कोविड-19 के समय अन्य राहत कार्यों के लिए उधार ली थी वह वापस बोर्ड में जमा करवाई जाए। इस मौके पर शेरसिंह शाक्य, मुकद्दर अली, रामचन्द्र, बसंत सिंह, शत्रोहन, अरविन्द सिंह, हरीराम, भरत, सुरेश कुमार, प्रेमचन्द कुमार, रामस्वरूप, सुनील, पप्पूराम, तरसेम सिंह आदि मौजूद थे।

श्रीविष्णु महायज्ञ में लगी सवा सात लाख आहुतियां

शाहपुरा, (निसं)। शहर के समीपवर्ती रुण्डल में संतों के बाग में जमदग्नि आश्रम के महंत रविदास महाराज के सानिध्य व अयोध्या धाम से महान्त गणेश दास महाराज के आचार्यत्व में सन्त बालक दास महाराज की मूर्ति प्राणप्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजित 51 कुण्डात्मक श्रीविष्णु महायज्ञ महोत्सव एवं संगीतमय श्रीमद भागवत कथा के पंचम दिवस पर

- करीब 50 हजार लोगों ने पाई पंगत प्रसादी

शाहपुरा के समीपवर्ती रुण्डल में संतों के बाग में जमदग्नि आश्रम में संतों ने प्रवचन दिये।

यज्ञाचार्य अयोध्या धाम से गणेश दास महाराज एवं विप्रों ने स्थापित देवताओं का पूजन कर 51कुण्डीय महायज्ञ में महायज्ञ के ब्रह्मा वैदिक सुरेश शर्मा खेजरोली एंव वैदिक नवीन शास्त्री ने बताया कि अब तक 6 लाख 21हजार आहुतियां यजमानों द्वारा लग चुकी हैं। भागवत कथा में अयोध्या धाम से महान्त गणेश दास महाराज द्वारा पंचम दिवस की कथा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। महाराज ने कहा कि आज कल की युवा पीढ़ी अपने धर्म अपने भगवान को नहीं मानते है, लेकिन तुम अपने धर्म को जानना चाहते हो तो पहले अपने धर्म को जानने के लिए गीता, भागवत ,रामायण पढ़ो तो, तुम नहीं तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी संस्कारी हो जायेगी। सभी भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया।प्रधान यजमान शिवपाल यादव,कैलाश सैनी, नन्दकिशोर सैनी, दिलीप खडोतिया, गोपाल सिंह शेखावत, रणवीर शेखावत, सत्यनारायण, कैलाश सैनी हरि शर्मा, राजेन्द्र शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा सहित अनेकों द्वारा भागवत जी का पूजन कर कथाव्यास यज्ञाचार्य का स्वागत कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में माताएं, बहनें व भक्तगण उपस्थित थे।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 20 जून, 2023

आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2080, पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 10:36 तक, ध्रुव योग रात्रि 1:47 तक, कौलव करण दिन 11:08 तक, चन्द्रमा आज दिन 3:58 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कर्क, बुध-वृष, गुरू-मेष, शुक्र-कर्क, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज त्रिपुष्कर योग सूर्योदय से दिन 1:08 तक है। रवियोग और राजयोग रात्रि 10:36 से आरम्भ होगा। बुध अस्त पूर्व में प्रात: 7:18 पर होगा। आज रथयात्रा उत्सव, मेला आषाढ़ी दशहरा, श्री जगदीश रथयात्रा जगन्नाथपुरी है। आज से जिलहिज मु. मास 12 आरम्भ होगा।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:03 से 10:46 तक, लाभ-अमृत 10:46 से 2:11 तक, शुभ 3:54 से 5:36 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:19

मेष
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

वृष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियों के कारण भागदौड़ बनी रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। धन हानि का भय है। दिन के मध्यान्ह पश्चात मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। दिन के मध्यान्ह पश्चात आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। धन प्राप्त होगा।

तुला
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

वृश्चिक
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

धनु
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

मकर
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ
परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा।

मीन
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।